



सं : 61 (1) / सि0भ0अनु0परि0 एम-42/ 820

दिनांक 12/5/2015

विषय: निरीक्षण नोट ।

कार्य का नाम: मदनपुर खादर फेस-3, नई दिल्ली में राजकीय उच्चतर माध्यमिक पक्का विद्यालय का निरीक्षण ।

Agreement No. : 37/EE/CBMD M-423/PWD/14-15

अद्योहस्ताक्षरी ने दिनांक 12.05.2015 को कार्यपालक अभियन्ता एम-423, सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता तथा ठेकेदार के प्रतिनिधि के साथ उपरोक्त कार्य का निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान पाया गया कि :-

- 1 कार्यस्थल पर कार्य करने का विस्तृत प्रोग्राम करार की शर्तों के अनुसार जैसा कि पेज-34, क्रम संख्या-9 पर दर्शाया गया है, अभी तक उपलब्ध नहीं है और न ही गुणवत्ता आश्वासन प्रोग्राम कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं है जैसा कि करार की शर्तों के पेज-28, क्रमांक-7 पर दर्शाया है । अद्योहस्ताक्षरी को बार-बार लिखना पड रहा है कि कार्यपालक अभियन्ता तथा संबंधित कार्य-इंचार्ज इसपर ध्यान नहीं दे रहे हैं । इससे कार्य की प्रगति तथा गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है ।
- 2 दिनांक 24.03.2015 को हुए निरीक्षण के दौरान पाया कि करार की शर्तों के अनुसार सुरक्षा संहिता लागू नहीं की जा रही है । कार्यस्थल पर छोटे-छोटे बच्चे खेलते पाए गए जो कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं और भवन के किसी भी तल पर सुरक्षा साधनों का प्रयोग नहीं किया गया जबकि इसका विशेष उल्लेख करार में पेज-29 पर क्रम संख्या-8 पर ले लिया गया है और करार की शर्तों में भी यह जरूरी है जिससे किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके ।
- 3 कॉलम तथा बीम के जोड पर आर.सी.सी. की गुणवत्ता कई स्थानों पर सही नहीं है । आर.सी. सी. की कॉस्टिंग के दौरान सीमेंट सलरी बह जाने से कंक्रीट कई स्थानों पर खाली रह गई है । अनेक स्थानों पर आर.सी.सी. सतह की Hacking नहीं की गई है ।
- 4 कार्य में प्रयोग किए जाने वाला ए.सी.सी. ब्लॉक के नमूनों की जांच शीघ्र करवाई जाये जिससे अनुमोदन में कोई देरी न हो ।

- 5 आर.एम.सी. प्लांट में प्रयोग की जाने वाली सामग्री के नमूनों की जांच रिपोर्ट व विवरण कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं है । कार्यस्थल पर प्रयोग किये जाने वाला आर.एम.सी. का विवरण भी विनिर्देशों के अनुसार उपलब्ध नहीं है ।
- 6 तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण की जांच रिपोर्ट तथा उसपर की गई कार्यवाही का विवरण कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं है । अभी तक तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रक द्वारा किए गए निरीक्षण तथा उसपर की गई कार्यवाही का सम्पूर्ण लिखित विवरण कार्यस्थल पर रखा जाये तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी भेजे ।
- 7 कार्यस्थल पर नक्शों तथा कार्य की प्रगति एवं वैद्युत कार्यों की एसोशिएट एजेंसी का विवरण डिस्पले नहीं किया गया है ।
- 8 कार्य में कॉलम का सरिया (आखिरी लेवल पर) जैसा कि संरचनात्मक नक्शों में दर्शाया गया है, के अनुसार बांधना सुनिश्चित किया जाये और साथ-ही-साथ कॉलम तथा अन्य आर.सी. सी. कार्य की तराई पर ध्यान दिया जाये और शटरिंग गिरने के बाद सतह की Hacking की जाये ।
- 9 यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी वैद्युत कार्यों के लिए एसोशिएट एजेंसी संबंधित कार्यपालक अभियंता (वैद्युत) / अधीक्षण अभियंता (वैद्युत) से स्वीकृत करवा ली गई है और सभी वैद्युत मद्दों का निष्पादन भी साथ-साथ किया जाये ।
- 10 संबंधित वरिष्ठ वास्तुक से समय-समय पर कार्यस्थल का निरीक्षण करवाया जाये तथा उनके निरीक्षण रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का विवरण कार्यस्थल पर रखा जाये ।

2
12/5/15
अधीक्षण अभियंता
सि.भ.अनु.परि, एम-42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली:-25

प्रतिलिपि :-

- 1 मुख्य अभियंता, अनुरक्षण अंचल एम-4, लोनिवि, एस.एस.ओ. भवन. नई दिल्ली
- 2 कार्यपालक अभियंता एम-423, सुखदेव विहार, नई दिल्ली

2
अधीक्षण अभियंता